

उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सेक्रेटरी,  
तेन्दूल बोर्ड आफ़ सेकेंडरी एजुकेशन,  
नई दिल्ली ।

शिक्षा ३७३ अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : ५/२९८४२१.१९७३

विषय :- तुलसी विद्या निवेदन , नगवा, वाराणसी , को अनापत्ति  
प्रमाण -पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह खबर का निर्देश हुआ है कि तुलसी विद्या निवेदन  
नगवा, वाराणसी को तेन्दूल बोर्ड आफ़ सेकेंडरी एजुकेशन, नई-दिल्ली से सम्बन्धित  
प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति  
नहीं है :-

- १। विद्यालय की पंजीकृत सतह/इटी का समय-समय पर नवीनीकरण  
कराया जायेगा ।
- २। विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक  
सदस्य होगा ।
- ३। विद्यालय में क्या से क्या (१) प्रतिभालय स्थापन अनुसूचित जाति/अनुसूचित  
जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर  
प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तय किये विद्यालयों में विभिन्न  
वर्गों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- ४। संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी  
और यदि पूर्व में विद्यालय की सम्बन्धता तेन्दूल बोर्ड आफ़ सेकेंडरी  
एजुकेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से  
सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य  
सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- ५। संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राज्य सरकार से अनुदान  
प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों या अनुदान प्राप्त विद्यालयों से नहीं  
लेना चाहिये ।

PRINCIPAL  
TULSI VIDYA NIKETAN

  
**Secretary**  
Sri Goswami Tulsi Das  
Educational Society  
VARANASI

  
**PRINCIPAL**  
TULSI VIDYA NIKETAN  
NAGWA VARANASI

अभ्यासार्थी उद्योगों को  
अभ्यासार्थी उद्योगों को

- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जी.पी.एस. जारी किया जाएगा, संस्था उसका पालन करेगी।
  - 181 विद्यालय को रिकार्ड निर्धारित पृष्ठ/पोजिकाओं में रखा जायेगा।
  - 191 उक्त भर्ती में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई पारंपरिक/संकीर्ण या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।
- 2- उक्त प्रमाणपत्रों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रमाणपत्रों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की कोड़े पुनः या अनियमितता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावनापत्रित प्रमाणपत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय  
शुभमोदी  
प्रधान

- 1- 15-1-1992 तक जारी
- 11 शिक्षा निदेशक, उ.प्र., बिहार कार्यालय, 10, वाट नं. 10, नगर
- 12 मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
- 13 जिला शिक्षा निरीक्षक, वाराणसी
- 14 निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ.प्र., नगर।
- 15 प्रमुख, तुलसी विद्यालय निदेशक, नगर, वाराणसी।

शुभमोदी  
उप प्रधान

PRINCIPAL  
LIONS SCHOOL, MIRZAPUR  
(Affiliated with C.B.S.E.)

PRINCIPAL  
TULSI VIDYA NIKETAN

Secretary  
Sri Goswami Tuisi Das  
Educational Society  
VARANASI

PRINCIPAL  
TULSI VIDYA NIKETAN  
NAGWA VARANASI